

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बनियाला

अनुवान सत्यनारायण बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 910 / 2025

निर्णय दिनांक 30/6/25

सत्यनारायण पुत्र फकीराराम जाति धानक निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


--:निर्णय:-

प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर बनियाला में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 71 खसरा नं. 343 तादादी 9.1929 हैक्ट., खसरा नं. 380 तादादी 1.5933 हैक्ट., खसरा नं. 396 तादादी 0.9484 हैक्ट. व खाता संख्या 70 खसरा नं. 292 तादादी 6.7904 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम बनियाला में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रमशः निराणाराम पुत्र फकीराराम व संतनारायण पुत्र फकीराराम दर्ज है जो कि गलत है सही नाम सत्यनारायण पुत्र फकीराराम है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र फकीराराम किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृषि भूमि रोही ग्राम बनियाला तहसील तारानगर के खाता संख्या 71 खसरा नं. 343 तादादी 9.1929 हैक्ट., खसरा नं. 380 तादादी 1.5933 हैक्ट., खसरा नं. 396 तादादी 0.9484 हैक्ट. व खाता संख्या 70 खसरा नं. 292 तादादी 6.7904 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम क्रमशः निराणाराम पुत्र फकीराराम व संतनारायण पुत्र फकीराराम Delete कर इसके स्थान पर सत्यनारायण पुत्र फकीराराम अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/6/25 को कैम्प कोर्ट बनियाला में लिखाया जाकर सुनाया गया।


(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)